न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट, जिला दौसा, राज0,

(पीठासीन अधिकारी :– श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या :– 08/2021, रजु दिनांक :– 09.07.2021,

बलराम बैरवा पुत्र स्व0 गोपाल बैरवा जाति बैरवा, निवासी ग्राम बाढ नोनन्दपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा, राजस्थान,

(प्रार्थी/अपीलाण्ट,)

बनाम्

ग्राम पंचायत सवासां जरिये – सचिव महोदय, ग्राम पंचायत सवासां तहसील लालसोट, जिला दौसा, राजस्थान,

(अप्रार्थी/रेस्पोडेण्ट,)

अपीलाण्ट अधिवक्ता :– श्री चन्द्रभानसिंह चौहान, एडवोकेट,

रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता :– एकतरफा कार्यवाही

निर्णय दिनांक :– 29/08/2024

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील नामान्तकरण संख्या –58 दिनांक 06.01.2003 ग्राम पंचयत सवासां के विरुद्ध प्रस्तुत कि गई है, जिसमें अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि वह नामान्तकरण संख्या –58 दिनांक 06.01. 2003 को नाबालिग था उसका नाम बलराम के स्थान पर रामबिलास दर्ज कर दिया गया जो कानूनी गलत है, नामान्तकरण में पहले बलराम ही दर्ज किया गया था। परन्तु बलराम को काट कर रामबिलास दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा अशुद्ध अंकन कर प्रार्थी/अपीलाण्ट के हितो पर गहरा कुठाराघात किया है। प्रार्थी/अपीलाण्ट हि अपने पिता मृतक गोपाल का वास्तविक एवं नैसंर्गिक उत्तराधिकारी है। प्रार्थी/अपीलाण्ट का नाम बलराम बैरवा है, उसके शैक्षणिक दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज में बलराम

———लगातार...2.

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0

हि दर्ज रिकार्ड है। इसलिये रामबिलास के स्थान पर बलराम दर्ज किया जाना आवश्यक है तथा अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य हैं प्रार्थी/अपीलाण्ट को नामान्तकरण कि जानकारी सर्वप्रथम् दिनांक 25.06. 2021 को हुई उसके बाद उसने राजस्व रिकार्ड प्राप्त कर विधिक राय लेकर यह अपील प्रस्तुत कि है, इसलिये नामान्तकरणनिरस्त किया जाकर प्रार्थी/अपीलाण्ट का नाम रामबिलास के स्थान पर बलराम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावें।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलाण्ट कि बहश सुनी पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया तथा ग्राम पंचायत को नोटिस जारी किया गया ग्राम पंचायत कि ओर से कोई एतराज पेश नहीं किया गया। प्रार्थी/अपीलाण्ट के शैक्षणिक दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज से स्पष्ट है, कि उसका नाम बलराम है। तथा वह मृतक गोपाल का वारिस है। साथ हि मूल नामान्तकरण संख्या –58 के अवलोकन से स्पष्ट है, कि नामान्तकरण में पूर्व में प्रार्थी/अपीलाण्ट का नाम बलराम हि दर्ज किया गया है, बाद में काट कर रामबिलास दर्ज किया गया है, इस प्रकार प्रार्थी/अपीलाण्ट बलराम द्वारा प्रस्तुत यह नामान्तकरण अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या –58 ग्राम बाढ नोन्दपुरा ग्राम पंचायत सवासां स्वीकार कि जाकर नामान्तकरण निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार निर्झरणा को नामान्तकरण रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है, कि अपीलाण्ट का नाम रामबिलास के स्थान पर बलराम दर्ज कर पुनः नामान्तकरण की कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

(नरेन्द्र कुमार मीना, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
लालसोट, दौसा, राज0,

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०